

प्रेषक,

बादल चटर्जी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1


लखनऊ : दिनांक/7/सितम्बर, 2008

विषय :- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में रिक्त समूह 'ग' के तकनीकी एवं नान तकनीकी पदों को सामान्य भर्ती के तहत भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम०ई०-2/2008/2430, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में रिक्त समूह 'ग' के तकनीकी एवं नान तकनीकी पदों को सामान्य भर्ती के तहत भरे जाने के संबंध में कार्यवाही विभागीय सेवा नियमावली के तहत सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से की जायेगी तथा जिन पदों का उल्लेख विभागीय सेवा नियमावली में नहीं है, उन पदों पर चयन/भर्ती की कार्यवाही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संबंधित पदों की प्रख्यापित सेवा नियमावली के तहत सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से की जायेगी।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(बादल चटर्जी)  
विशेष सचिव

